Date 24/07/2020 Page: 1 of 2

B.A. (H) PART-2ND
POLITICAL SCIENCE
PAPER-III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH-4th (FUNDAMENTAL RIGHTS & FUNDAMENTAL DUTIES)
LECTURE NO.- 21 (Total-60)

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

मूल कर्तव्यों का मूल्यांकन

भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है —

(1) कर्तव्यों के उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था नहीं —
विश्व के कई देशों के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें मूल अधिकारों से तथा नागरिकता से भी वंचित कर दिया जाएगा। परन्तु भारतीय संविधान में ऐसी कोई दण्ड की व्यवस्था नहीं है।

(2) भाषा की अस्पष्टता —
इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है। जैसे - वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास और सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रयास, आदि ऐसी बातें हैं, जिनकी व्याख्या विभिन्न व्यक्ति अपने-अपने ढंग एवं मान्यता के अनुसार मनमाने रूप से कर सकते हैं।

(3) अत्यधिक आदर्शवादी —
अनेक मूल्य कर्तव्य व्यावहारिक न होकर अत्यधिक आदर्शवादी हैं। जैसे- राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की रक्षा आदि।

(4) शासन के अत्याचार की आशंका —
इसमें जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया उसकी आड़ में शासन जनता पर अत्याचार कर सकता है, ऐसी शंका कुछ पक्षों द्वारा की जाती है।

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

Saathi

वर्णित आलोचना के बावजूद मूल कर्तव्यों का काफी महत्व है जो इस प्रकार है:—

(1) ये मूल कर्तव्य एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है।

(2) नागरिकों में अनुशासन व प्रतिबद्धता का भाव उत्पन्न करते हैं।

(3) राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना नागरिकों में पैदा करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिये महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

(4) ये मूल अधिकारों से उत्पन्न निरंकुशता से रक्षा करते हैं अर्थात् अधिकारों को संतुलित करते हैं।

मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता

मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं अर्थात् किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह नीति-निदेशक तत्वों से समानता रखता है। इसी वजह से कभी-कभी व्यंग्यात्मक लहजे में इसे 'निरर्थक घोषणाएँ' भी कह दिया जाता है। हालाँकि कई मामलों में न्यायालय द्वारा इसे मूलभूत महत्व का माना गया है।

संभावित प्रश्न:

मूल कर्तव्यों का आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए इसके महत्व को समझाइये।

Scanned with CamScanner